कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जिला भोपाल,मध्यप्रदेश

कमांक/186/अजिद/2020 भोपाल,दिनॉक 9/07/2020

// आदेश //

(अंतर्गत धारा–144 दण्ड प्रकिया संहिता 1973)

कार्यालयीन आदेश कमांक/1748/अजिद/2020 भोपाल,दिनॉक 01.07.2020 में आंशिक संशोधन करते हुये मै अविनाश लवानिया, जिला मजिस्टेट्र भोपाल एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

2.1 जिला भोपाल के थाना हनुमानगंज क्षेत्र के ईब्राहिम गंज क्षेत्र जो एस.डी.एम एवं नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा चिन्हित किया गया हो,उक्त क्षेत्र को बैरीकेटिंग लगाकर आम नागरिको का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है ।

2.2 इब्राहिम गंज से कोई भी व्यक्ति मेडीकल इमरजेंसी को छोडकर अनावश्यक रूप से घर से बाहर नही निकलेगें ।

2.3 उपरोक्त क्षेत्र में अत्यावश्यक आपूर्ति नगर निगम भोपाल द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

3/– यह आदेश की समयावधि दिनॉक 12.07.2020 रविवार को प्रातः05.00 बजे से दिनॉक 19.07.2020 रविवार को रात्रि 10.00 बजे तक के लिए थाना हनुमानगॅज के क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा ।

4/– यह आदेश शवयात्रा पर लागू नही होगा ।

5/– यह आदेश उपरोक्त क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नही है । अतः सार्वजनिक माध्यमों,इलेक्ट्रानिक मीडिया,समाचार पत्रों के माध्यम से यह आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है ।

6/– इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भ0द0सं0की धारा 188 के अंतर्गत दण्ड के भागी होगें ।

7/– यह आदेश सर्वसाधारण को सम्बोधित है और चूंकि वर्तमान परिस्थितियों में जन–साधारण को इसकी सूचना देना संभव नहीं है अतः द0प्र0सं0की धारा 144(2)के अतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है ।

8/– यह भी आदेशित किया जाता है कि इस आदेश की सूचना ध्वनि विस्तारक यंत्र से उपरोक्त संबंधित क्षेत्र में दी जावे एवं आदेश की एक प्रति कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर,पुलिस थाना एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा की जावे

आज दिनांक 09/07/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

(अविनाश लवानिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल

पृष्ठा0क्र0/181/अजिद/2020 भोपाल, दिनांक 9/07/2020

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1– प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय भोपाल

2– आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल

3– अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक,भोपाल झोन भोपाल

4– पुलिस उप महानिरीक्षक,शहर रेंज भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

5– आयुक्त,नगर पालिक निगम भोपाल

6– समस्त एस0डी0एम0/समस्त नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

7– केन्द्र निदेशक,आकाशवाणी/दूरदर्शन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

8– उप संचालक,संभागीय जनसम्पर्क भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

9– प्रभारी अधिकारी, पुलिस नियंत्रण कक्ष, जहांगीराबाद भोपाल की ओर 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित सूचनार्थ ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भोपाल